सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-318/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 25 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

दीदारगंज के पल्थी हत्याकाण्ड का आरोपी गिरफ्तार

वादी श्री प्रेमचन्द्र बरनवाल द्वारा खुद के लडके अमर बरनवाल उम्र 15 वर्ष के घर से बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध मे थाने पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/20 धारा 363 भादवि दि0 11.8.20 को पंजीकृत किया गया। पुनः वादी मुकदमा द्वारा सूचना दिया गया कि मेरे पुत्र अमर का शव मेरे घर के पीछे पडा हुआ इस सूचना पर नियमानुसार शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कराते हुए पीएम कराया गया बाद पीएम मुकदमा उपरोक्त मे धारा 302/201 भादवि की बढोत्तरी करते हुए धारा 363,302,201 भादवि में तरमीन बनाम अज्ञात के विवेचना प्रारम्भ किया गया , विवेचना से अभियुक्तगण 1. निराले बरनवाल पुत्र प्रेमचन्द्र बरनवाल सा0 पल्थी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 2. दीपान्शी बरनवाल पत्नी निराले बरनवाल सा0 पल्थी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 3. चन्दन यादव पुत्र अभयराज यादव सा0 दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व 4. अंकित यादव उर्फ पिन्कू पुत्र रुपचन्द्र यादव सा0 मुल्लापुर प्रतापपुर थाना अखण्ड़नगर जिला सुल्तानपुर का नाम प्रकाश मे आया , विवेचना से धारा 363 भादवि की घटोत्तरी किया गया तथा दो नामित अभियुक्तगण 1. दीपान्शी बरनवाल पत्नी निराले बरनवाल सा0 पल्थी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 2. चन्दन यादव पुत्र अभयराज यादव सा0 दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दि0 16.8.20 को गिरफ्तार करते हुए जिला कारागार आजमगढ मे निरुद्ध कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः - आज दि0 25/8/20 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा वान्छित , ईनामिया हत्या , लूट से सम्बन्धित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिह मय हमराह उ0नि0 जावेद अख्तर व अन्य हमराही कर्मचारीगण के ,तलाश वाछित अपराधी/वारन्टी हेतु कस्बा दीदारगंज मे मौजुद थे कि मुखबीर खास आकर सूचना दिया कि आपके पल्थी वाले हत्याकाण्ड का अभियुक्त निराले बरनवाल जो अपने घर पर मौजूद है तथा कही भागने के फिराक मे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर के थानाध्यक्ष मय हमराह मुखबीर के साथ पल्थी बाजार मे पहुचे ही थे कि तभी एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुए मुखबीर खास ने बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जिसकी आपको तलाश है इतना कहकर मुखबीर खास चला गया कि हम पुलिस वालो को देखकर वह व्यक्ति पीछे मुडकर तेज कदमो की चाल से वापस जाने लगा कि हमराह कर्मचारीगण की मदद से दौडाकर तथा घेरघार कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पकड लिया गया जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम निराले बरनवाल पुत्र प्रेमचन्द्र बरनवाल सा 0 पल्थी थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ बताया अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म धारा 302/201 भादवि का बोध कराकर तथा कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.15 बजे बाजाफ्ता बकायदा पुलिस हिरासत मे लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण - अभियुक्त निराले बरनवाल पुत्र प्रेमचन्द्र बरनवाल पूछताछ पर जुर्म स्वीकार्य करते हुए बताया कि साहब मृतक अमर मेरा सौतेला भाई था , सम्पत्ति के विवाद के कारण मेरे घर मे हमेशा झगडा होता रहता था , मेरे पिता व अन्य घर के लोग हमेशा अमर का पक्ष लेते थे जिससे मेरे मन मे जलन उत्पन्न हो जाता था मै उससे हमेशा बैर रखता था व उसे उसे मारने की कोशिश कई दिनो से कर रहा था , मौका मिलते ही मैने उसे मार दिया।

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 126/20 धारा 302/201 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः

निराले बरनवाल पुत्र प्रेमचन्द्र बरनवाल सा0 पल्थी थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिह
2. उ0नि0 जावेद अख्तर
3. का0 प्रमोद यादव
4. का0 अमित कुमार
5. म0 का0 अनीता कुमारी
6. रि0 म0 का0 अनामिका सिंह

थाना- जीयनपुर

02 वांछित गिरफ्तार

वादी सुरेन्द्र चौहान पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासी बनावे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर अभियुक्तगण 1.मुकेश कुमार पुत्र रामनगीना चौहान 2.रामनगीना चौहान पुत्र दुर्जन चौहान 3.चम्पा देवी पत्नी रामनगीना 4. स्मृता पुत्री रामनगीना निवासीगण कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा खुद की पुत्री शकुन्तला चौहान उम्र करीब 25 वर्ष को दहेज के लिये प्रता ड़ित करना , मारना पीटना व दहेज न देने पर दिनांक 23/24.08.2020 को जान से मार देने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी महोदय द्वारा प्रचलित है ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 25.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अजय कुमार सिंह , का0 अंकुर सिंह म0का0 शिवानी सिंह , म0का0 प्रियंका गुप्ता के द्वारा मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मुकेश कुमार पुत्र रामनगीना चौहान 2. रामनगीना चौहान पुत्र दुर्जन चौहान निवासीगण कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय 08.05 बजे स्थान कन्जरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मुकेश कुमार पुत्र रामनगीना चौहान निवासी कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़आजमगढ़

2.रामनगीना चौहान पुत्र दुर्जन चौहान निवासी कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 अजय कुमार सिंहथाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकुर सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. म0का0 शिवानी सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 प्रियंका गुप्ताथाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13. 05.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर शेर सिंह तोमर द्वारा अभियुक्त नाजिम पुत्र महमुद निवासी कौड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम हेतु उसका व उसके साथियों का गैंग चार्ट तैयार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 123/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत कराया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 25.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शेर सिंह तोमर मय हमराहियान द्वारा मु0अ0सं0- 123/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र महमुद निवासी कौड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ को उसके घर से समय 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है |

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नाजिम पुत्र महमुद निवासी कौड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 123/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना- फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 418/06 धारा 325,323,504,506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ |
2. मु0अ0सं0 113/15 धारा 147,148,323,325,452,504,506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ |
3. मु0अ0सं0 119/17 धारा 3/5/8 गोवधन नि0 अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ |
4. मु0अ0सं0 123/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना- फूलपुर आजमगढ़ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. शेर सिंह तोमर सिंह प्र0नि0 फूलपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 जावेद अजहर थाना फूलपुर , आजमगढ़

3. हे0का0 कमलेश मिश्रा थाना फूलपुर , आजमगढ़
4. का0 अरविन्द कुमार थाना फूलपुर , आजमगढ़
5. का0 जितेन्द्र कुमार यादव थाना फूलपुर , आजमगढ़
6. का0 ददन थाना फूलपुर , आजमगढ़

नोट:- जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है।